राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 02950/2023

श्री राम सैनी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं उप सचिव–2, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायती समिति, भुसावर, भरतपुर।
5. श्री रतन सिंह गुर्जर अतिरिक्त ब्लॉक विकास अधिकारी जरिये अतिरिक्त आयुक्त एवं उप सचिव–2, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.11.2023
आदेश की दिनांक : 06.12.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खाण्डपा, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से : श्री रामेश्वर गुर्जर, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर बहस सुनी एवं शामिल मिसल कर रिकॉर्ड किया गया।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की वर्तमान में अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पंचायती समिति भुसावर, भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.10.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति नंदबई में कर दिया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित करने के उद्देश्य से किया गया है। कर्मचारियों राज्य शासन द्वारा

दिनांक 04.01.2023 को एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार दिनांक 15.01.2023 से से स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरतलब है कि आदेश दिनांक 04.01.2023 के अनुसार किसी भी विभाग द्वारा एपीओ आदेश जारी नहीं किये जा सकेगे। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिनांक 20.01.2023 को एक आदेश भी जारी किया गया एवं उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि 15.01.2023 से राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है तथा उस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकारियों/कर्मचारियो के एपीओ आदेश जारी नहीं किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक वर्ष एक महीने की अल्प अवधि के भीतर ही स्थानान्तरण कर दिया गया है। पूरे आदेश में केवल अपीलार्थी का ही स्थानान्तरण किया गया है, जबकि संपूर्ण आदेश सहायक बीडीओ के पद से पदोन्नत हुए व्यक्तियों का पदस्थापन आदेश है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 09.10.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पंचायती समिति भुसावर, भरतपुर में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि प्रत्यर्थी विभाग ने राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात पुर्णतया प्रशासनिक आवश्यकता–कुशल प्रबंधन एवं राज्य हित को दृष्टिगत रखते आदेश दिनांक 09.10.2023 पारित किया गया है जिसमे स्पष्ठ रूप से अंकित किया हुआ है कि – उक्त को यात्रा/योगकाल देय है। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है–अपीलार्थी ने एकपक्षीय स्थगन प्राप्ति के प्रयास में गलत तथ्यो का अंकन किया है विभाग की सक्षम अधिकारिता द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.10.2023 पुर्णतया विधिक होने से उक्त अपील काबिल निरस्त योग्य है। अपीलार्थी ने अल्प अवधि में स्थानान्तरण और सवेर में ज्वाईनिंग का कथन अंकित किया गया है परंतु संशोधित अपील उक्त तथ्यो को अंकन नहीं किया है जो कि वास्तविकता को छिपाते हुए माननीय अधिकरण को गुमराह किये जाने का और एकपक्षीय स्थगन प्राप्ति का प्रयास मात्र है। वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 23.06.2023 के द्वारा पदस्थापन पंचायत समिति सेवर में कार्यभार ही ग्रहण नहीं किया तथा आदेश दिनांक 26.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी का पंचायत समिति सेवर से पचांयत समिति भुसावर स्थानान्तरण किया गया चुंकि अपीलार्थी पंचायत समिति सेवर में कार्यरत नहीं होकर

उपरोक्त स्थानान्तरणों के बावजूद पंचायत समिति वैर में ही पदस्थापित रहा, पंचायत समिति वैर से नवसृजित पंचायत समिति भुसावर होने पर आदेश दिनांक 2707.2022 को अपीलार्थी पंचायत समिति वैर से कार्यमुक्त होकर पंचायत समिति भुसावर मे कार्यभार ग्रहण कर कार्यरत एवं पदस्थापित है का पदस्थापन प्रशासनिक आवश्यकता वश पंचायत समिति नदबई रिक्त पद पर सक्षम अधिकारिता द्वारा जारी किया गया जो पुर्णतया विधिसम्मत होने से यह अपील निरस्त योग्य है। अपीलार्थी अतिरिक्त विकास अधिकारी का पुर्णतया प्रशासनिक आवश्यकता तथा नियमों एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुए बिना किसी एकमोडेशन के राज्य हिता को दृष्टिगत रखते सक्षम अधिकारिता द्वारा पंचायत समिति भुसावर (भुसावर) से पंचायत समिति नदबई एक ही जिला भरतपुर के अधीन लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर ही स्थानान्तरण किया गया है अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय है जारी आदेश 09.10.2023 पुर्णतया विधिसम्मत होने से उक्त अपील मय कोस्ट काबिल निरस्त योग्य है।

4. निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेशों की प्रतीक्षा में प्रशासनिक कारणों से नहीं किया गया। विभाग द्वारा जवाब में अंकित किया गया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण स्थानीय समाचार एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लिखित शिकायत पर किया गया, उक्त संदर्भ में अपीलार्थी निवेदन करता है कि अपीलार्थी ईमानदान एवं कर्तव्यनिष्ठा कर्मचारी है। जिसकी सेवाऐ सतोषजनक है जनप्रतिनिधि अपीलार्थी से दूरभावना रखते गलत ढंग से से शिकायत कर उसका स्थानान्तरण करवाना चाहता है। इसी कारण शिकायतें क्षेत्रीय अखबार में प्रकाशित करवायी गयी। जो कि गलत है किसी भी राष्ट्रीय अखबार में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अखबार की खबर एवं जनप्रतिनिधियों एवं किसानों की झूठी शिकायतों पर बिना जांच किये बिना ए.पी.ओ. करना न्याय उचित नहीं है। अधिशाषी अभियंता बांई मुख्य नहर खण्ड सी.ए.डी. के पाटन द्वारा दिनांक 14.06.2023 को जांच रिपोर्ट श्रीमान अधीक्षण अभियंता बांई मुख्य नहर वृत सीएडी चम्बल कोटा को भेजी गई। जिसमें सारी शिकायतों की जांच की गई एवं निमार्ण कार्यों के गुण नियत्रंण की जांच करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 17.04.2023 को प्राप्त हुई तथा कुछ व्यक्तियों द्वारा संभागीय आयुक्त कोटा को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें स्पष्ट कहा गया कि उनके नाम का गलत उपयोग कर शिकायत भेजी गई। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण दुर्भावना पूर्ण बिना कारण किया गया जो कि गलत है।

5. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता, प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के अधिक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

6. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पंचायती समिति भुसावर, भरतपुर में कार्यरत है। जहां तक आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण भरतपुर जिले में ही 30 कि.मी. के दायरे में किया गया है और अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल भी देय है और स्थानान्तरण आदेश भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधि विरूद्धता प्रकट नहीं होती है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई. आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal."

7 उपरोक्तानुसार अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियमानुरूप किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील में हमें कोई बल प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

8. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य